सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 67/17 **निर्णय दिनांकः–**

1. चावली पत्नी स्व. फूसाराम जाति नायक निवासी माधो डिग्गी, तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. मदनलाल पुत्र स्व. फूसाराम जाति नायक निवासी माधोडिग्गी, तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
3. विमला पुत्री स्व. फूसाराम जाति नायक निवासी माधो डिग्गी, तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
4. मंजू पुत्री स्व. फूसाराम जाति नायक निवासी माधो डिग्गी, तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
6. धन्नाराम पुत्र स्व. फूसाराम जाति नायक निवासी माधो डिग्गी, तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांटस

–बनाम–

1. दिवाया पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी चक 12 एसएमडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–03–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री प्रेम प्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–03–1998 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट को आवंटित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता श्री फूसाराम को चक 12 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 2/35 के किला नम्बर 2 ता 12 में 11 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 1, 13 ता 15 व 20 में 5 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 16 बीघा भूमि आवंटन की गई। जिसका पट्टा भी अपीलांट्स के पति/पिता के नाम से दिनांक 24–01–1984 को जारी किया जा चुका था तथा अपीलांट्स के पिता/पति आवंटन पश्चात् से ही वादगत् भूमि का काबिज चले आ रहे है। लेकिन अपीलांट् के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हुआ। अपीलांट आज भी वादगत् आराजी पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दिनांक 23–11–2015 को मौके पर आया और कहा कि उक्त रकबा खाली कर देवें क्योंकि उक्त रकबा दिनांक 18–03–1988 को उसे आवंटन हो चुका है। रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। जबकि अपीलांट्स के पति/पिता को अदालत मातहत द्वारा विधिवत रूप से पात्रता की जॉच करते व तमाम सबूतों की जॉच करते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट सबस्क्विवयन्ट एलोटमेंट होते हुए भी अपीलांट को वादगत् भूमि से बेदखल करने पर अमादा है।

उन्होंने अपनी बहस में आगे बताया कि अपीलांट का आवंटन वर्ष 1984 का आवंटन है। जबकि रेस्पोडेन्ट का आवंटन वर्ष 1988 का पश्चात्वर्ती आवंटन है।अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को मनमाने ढंग से आराजी जैर का आवंटन कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। किन्तु बाद तामील नोटिस, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित नहीं आया है। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा चक 1 आरजेडी(ए) के मुरब्बा नम्बर 18/12 में 8 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाकर वरियता के आधार पर किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(अ)** हस्तगत् प्रकरण में विवादित आराजी चक 12 एसएमडी के मुरब्बा नम्बर 2/35 के किला नम्बर 2 ता 12 में 11 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 1, 13 ता 15 व 20 में 5 बीघा अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 16 बीघा भूमि आवंटन की गई। जिसका पट्टा भी अपीलांट्स के पति/पिता के नाम से दिनांक 24–01–1984 को जारी किया जा चुका था तथा अपीलांट्स के पिता/पति आवंटन पश्चात् से ही वादगत् भूमि का काबिज चले आ रहे है।

(ब) अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को रहते हुए रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

जबकि उक्त आराजी पूर्व में ही अपीलांट को वर्ष 1984 में आवंटित भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या एक को वर्ष 1998 में किया गया है। रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन की श्रेणी का है।

अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व इस तथ्य की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि उक्त आराजी पूर्व में अन्य को आवंटनशुदा भूमि है अथवा नहीं?

(स) अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत व रिकार्ड के अवलोकन किये बिना पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवंटन से पूर्व आराजी जैर के संबंध में संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। जैसा की प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि आराजी जैर का आवंटन अपीलांट को वर्ष 24–01–1984 को किया जाकर आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका था तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट को किया गया पश्चात्वर्ती आवंटन दिनांक 18–03–1988 आवंटन नियमों के विपरीत होने से खारिज योग्य आवंटन है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–03–1988 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर अपीलांट का आवंटन दिनांक 24–01–1984 बहाल किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर